

अवसदन पत्र संख्या-8/1204/171(II)/14वें वि०आ०/2018-19, दिनांक- 31-1-2019 का संलग्नक

जिले का नाम	क्र०	निकास का नाम	वित्तिय वर्ष 2018-19 में कुल आय की प्रतीक विवरण की प्रतीक (रु० में)	बैंक खाता संख्या	बैंक का आईएफएससी कोड
1	2	3	4	5	6
झज्जर	184	गौरहा	1,19,38,143	4576000100014743	PUNB0457600
झज्जर	185	राठ	1,63,44,059	4576000100014752	PUNB0457600
जालंधर	186	जालंधर	1,30,75,974	2802001700000554	PUNB0280200
जालंधर	187	काली	1,10,58,413	2802001700000545	PUNB0280200
जालंधर	188	शोध	1,10,58,413	2802001700000536	PUNB0280200
जालंधर	189	उरई	4,27,28,663	2802001700000527	PUNB0280200
झांसी	190	बनारसपुर	1,06,22,184	0229000103015485	PUNB0022900
झांसी	191	विठ्ठलपुर	47,83,982	2835000100076094	PUNB0283500
झांसी	192	गुरसराय	71,17,809	1459000170009848	PUNB0145900
झांसी	193	मकसलपुर	1,80,67,165	3673000108175425	PUNB0367300
झांसी	194	सम्भर	2,06,15,471	0882000100181713	PUNB0088200
झांसी	195	खलिसपुर	3,00,74,377	0299000103270841	PUNB0029900
महाराष्ट्र	196	करवाडी	94,37,094	4797000100003504	PUNB0479700
महाराष्ट्र	197	महाराष्ट्र	2,04,51,885	4797000100003513	PUNB0479700
महाराष्ट्र	198	महाराष्ट्र	-	38130001000096330	PUNB0381300
महाराष्ट्र	199	महाराष्ट्र	1,10,43,872	41580001000033152	PUNB0415800
		कुल योग	3,63,52,44,400		

(जयेंद्र तिवारी)
महाराष्ट्र निदेशक (निष्ठा)

(डा० काजल)
निदेशक

क्रमांक	निकाय का नाम	लेखाशीर्षक
1	नगर निगमों हेतु	2217-शहरी विकास-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-191-नगर निगमों को सहायता-05-बीदहवा वित्त आयोग-0501-सामान्य बुनियादी अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)
2	नगर पालिका परिषदों हेतु	2217-शहरी विकास-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-05-बीदहवा वित्त आयोग-0501-सामान्य बुनियादी अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)
3	नगर पंचायतों हेतु	2217-शहरी विकास-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-05-बीदहवा वित्त आयोग-0501-सामान्य बुनियादी अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)

संलग्नक-आयटन आदेश की का संलग्नक।

भवदीय
5/11
(डा० कर्जन)
निदेशक

संख्या व दिनांक तदैव।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- प्रधान महालेखाकार (रिपोर्ट ब्रान्च), उ०प्र० इलाहाबाद/प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ०प्र० इलाहाबाद।
 - 2- वरिष्ठ उपमहालेखाकार, स्थानीय निकाय (लेखापरीक्षा एवं लेखा), उ०प्र० इलाहाबाद।
 - 3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
 - 4- प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग-9, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
 - 5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० इलाहाबाद।
 - 6- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-8, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
 - 7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
 - 8- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उ०प्र० शासन।
 - 9- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ०प्र० शासन।
 - 10- समस्त महापौर, नगर निगम उ०प्र०/समस्त, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों, उ०प्र०।
 - 11- वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक विपुल खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया नोटल एकाउन्ट खाता संख्या-44830001000009005 से संलग्न सूची में उल्लिखित समस्त निकायों को उनके सम्मुख अंकित धनराशि को पूर्व में खोले गये सम्बन्धित खातों में अन्तर्गत करते हुये धनराशि अन्तरण की सूचना निकायवार विवरण के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
 - 12- जूनियर कम्प्यूटर प्रोग्रामर, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(उपेन्द्र शिवारी)
सहायक निदेशक(लेखा)

स्थानीय निकाय, उ०प्र०,
नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान,
सेक्टर-7, मुख्यण्ड संख्या-18,
गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ।

सेवा में,

- | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1-समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश। | 2-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश। |
| 3-समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम, उत्तर प्रदेश। | 4-समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत
उत्तर प्रदेश। |

संख्या-8/1204/171(III)/14वें वि०आ०/2018-19

लखनऊ: दिनांक 31 जनवरी, 2019

विषय-14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2018-2019 हेतु बुनियादी अनुदान की द्वितीय किस्त की धनराशि के संबंध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदन है कि 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु शासनादेश संख्या-15/19/172/नौ-9-2018-47ज/13, दिनांक 30 जनवरी, 2019 द्वारा सामान्य बुनियादी अनुदान की द्वितीय किस्त के रूप में प्राप्त ₹0 90881.11 लाख (रुपये नौ अरब आठ करोड़ इक्यासी लाख ग्यारह हजार मात्र) की धनराशि समस्त कार्यरत स्थानीय निकायों को संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत की गयी है-

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रस्तर 9.71 के अनुसार स्वीकृत अनुदान का उपयोग मूलभूत नागरिक सुविधाओं यथा-जल आपूर्ति, सीवरेज तथा जोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सैफ्टेज प्रबन्धन सहित स्वच्छता, जल निकासी, सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रखरखाव, सड़कों, फुटपाथों एवं स्ट्रीट लाइट तथा कब्रिस्तान और श्मशानों का रखरखाव पर व्यय की जायेगी।
- (2) स्थानीय निकायों के लिये संस्तुत अनुदान को राज्य के बजट में आयोजनोत्तर व्यय के रूप दर्शाया जायगा।
- (3) टेण्डर की कार्यवाही केवल अनुमोदित कार्यों हेतु की जायेगी।
- (4) इस अनुदान के लेखों का रखरखाव संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायगा। इस अनुदान के उपयोग एवं सम्प्रेषण की प्रणाली निर्देशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० के माध्यम से सुनिश्चित किया जायगा।
- (5) 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत संस्तुत अनुदान राशि का उपयोग निर्धारित स्कीमों के अन्तर्गत किये जाने से संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने होंगे। तत्संबंधी प्रमाण-पत्र यथाशीघ्र भारत सरकार को वित्त विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना होगा।
- (6) उपयोगिता प्रमाण पत्र नगर निगमों के संबंध में नगर आयुक्त तथा नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों के संबंध में जिलाधिकारी के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर मालू वित्तीय वर्ष में ही निर्देशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ, महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (7) नगर निगमों के संबंध में संबंधित नगर आयुक्त तथा नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों के संबंध में संबंधित अधिशासी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुरूप एवं समयबद्ध रूप से किया जाय। दिशा-निर्देशों से हटकर किया गया व्यय अनुमन्त्र नहीं होगा तथा इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। इसके लिये संबंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (8) उक्त व्यय मालू वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आव-व्ययक की अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा:-


(उपेन्द्र तिवारी)
-स्वास्थ्य (लेखा)

विकास का नाम	क्र०	निकाय का नाम	वित्तिय वर्ष 2018-19 में कुल मुनिपाली अनुदान की प्रत्येक विलेज की वार्षिक वित्तिय सहायता (रु० में)	बैंक खाता संख्या	बैंक का आईएफएससी - कोड
1	2	3	4	5	6
जालीम	188	जालीम	1,10,58,413	2802001700000538	PUNB0280200
जालीम	189	उपई	4,27,28,663	2802001700000527	PUNB0280200
झासी	190	मरुआसागर	1,06,22,184	0229000103015485	PUNB0022900
झासी	191	विरासा	47,83,982	2935000100076094	PUNB0293500
झासी	192	गुरसराय	71,17,809	1459000170008848	PUNB0145900
झासी	193	मकरानीपुर	1,80,67,165	2673000108175425	PUNB0367300
झासी	194	समथर	2,06,15,471	0862000100181713	PUNB0086200
जलितपुर	195	जलितपुर	3,00,74,372	0299000103270841	PUNB0029900
महोबा	196	मरुआसा	94,37,094	4797000100003504	PUNB0479700
महोबा	197	महोबा	2,04,51,885	4797000100003513	PUNB0479700
कौशांबी	198	मरुआसा	-	3913000100096330	PUNB0391300
आगरा	199	गिनगा	1,10,43,872	4159000100033152	PUNB0415900
		कुल योग	3,63,52,44,400		


 (अनंद कुमार)
 सहायक निदेशक (आगरा)


 (अनंद कुमार)
 निदेशक
 जालीम विकास निदेशालय, आगरा

क्रमांक	निकाय का नाम	लेखाशीर्षक
1	नगर निगमों हेतु	2217-शहरी विकास-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-191-नगर निगमों को सहायता-05-चौदहवां वित्त आयोग-0501-सामान्य बुनियादी अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)
2	नगर पालिका परिषदों हेतु	2217-शहरी विकास-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-05-चौदहवां वित्त आयोग-0501-सामान्य बुनियादी अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)
3	नगर पंचायतों हेतु	2217-शहरी विकास-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-05-चौदहवां वित्त आयोग-0501-सामान्य बुनियादी अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)

संलग्नक-आवटन आदेश की का संलग्नक।

भवदीय



(अखिलेश सिंह)
निदेशक

संख्या न दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रधान महालेखाकार (रिपोर्ट ब्रान्च), उ०प्र० इलाहाबाद/प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक्यारी) उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- वरिष्ठ उपमहालेखाकार, स्थानीय निकाय (लेखापरीक्षा एवं लेखा), उ०प्र० इलाहाबाद।
- 3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग-8, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 6- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-8, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
- 8- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उ०प्र० शासन।
- 9- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ०प्र० शासन।
- 10- समस्त महापौर, नगर निगम उ०प्र०/समस्त, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतें, उ०प्र०।
- 11- वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक विपुल खण्ड गौमतीनगर, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया नोडल एकाउन्ट खाता संख्या-4483000100009005 से संलग्न नूपी में उल्लिखित समस्त निकायों को उनके सम्मुख अंकित धनराशि को पूर्व में खोले गये सम्बन्धित खातों में अन्तरित करते हुये धनराशि अन्तरण की सूचना निकायवार विवरण के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 12- जूनियर कम्प्यूटर प्रोग्रामर, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(उपेन्द्र तिवारी)
सहायक निदेशक(लेखा)

स्थानीय निकाय, उ०प्र०,
नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान,
सेक्टर-7, नूखण्ड संख्या-18,
गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ।

सेवा में,

- | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1-समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश। | 2-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश। |
| 3-समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम, उत्तर प्रदेश। | 4-समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत
उत्तर प्रदेश। |

संख्या-8/808/171(III)/14वें वि०आ०/2018-19

लखनऊ: दिनांक 09 अक्टूबर, 2018

विषय:-14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2018-2019 हेतु बुनियादी अनुदान की प्रथम किस्त की धनराशि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदन है कि 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु शासनादेश संख्या-140/18/1427/नौ-9-2018-47ज/13, दिनांक 05 मई, 2018 द्वारा सामान्य बुनियादी अनुदान की प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त रू० 90881.000 लाख (रुपये नौ अरब आठ करोड़ इक्कासी लाख ग्यारह हजार मात्र) की धनराशि समस्त कार्यरत स्थानीय निकायों को संलग्नक सूची में उल्लिखित विवरणानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत की गयी है-

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रस्तर 2.71 के अनुसार स्वीकृत अनुदान का उपयोग मूलभूत नागरिक सुविधाओं यथा-जल आपूर्ति, सीवरेंज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, रोस्टेज प्रबन्धन सहित स्वच्छता, जल निकासी, सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रखरखाव, सड़कों, फुटपाथों एवं स्ट्रीट लाइट तथा कब्रिस्तान और श्मशानों का रखरखाव पर व्यय की जायेगी।
- (2) स्थानीय निकायों के लिये संस्तुत अनुदान को राज्य के बजट में आयोजनेत्तर व्यय के रूप दर्शाया जायगा।
- (3) टेंडर की कार्यवाही केवल अनुमोदित कार्यों हेतु की जायेगी।
- (4) इस अनुदान के लेखों का रखरखाव संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायगा। इस अनुदान के उपयोग एवं सम्प्रेषण की प्रणाली निर्देशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० के माध्यम से सुनिश्चित किया जायगा।
- (5) 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत संस्तुत अनुदान राशि का उपयोग निर्धारित स्कीमों के अन्तर्गत किये जाने से संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने होंगे। तत्संबंधी प्रमाण-पत्र यथाशीघ्र भारत सरकार को वित्त विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना होगा।
- (6) उपयोगिता प्रमाण पत्र नगर निगमों के संबंध में नगर आयुक्त तथा नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों के संबंध में जिलाधिकारी के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर चालू वित्तीय वर्ष में ही निर्देशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ, महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (7) नगर निगमों के संबंध में संबंधित नगर आयुक्त तथा नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों के संबंध में संबंधित अधिशासी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुरूप एवं समयबद्ध रूप से किया जाय। दिशा-निर्देशों से हटकर किया गया व्यय अनुमन्य नहीं होगा तथा इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। इसके लिये संबंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (8) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा:-